# अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच[1]

## हैदराबाद घोषणा

हम सब सामूहिक रूप से 'मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार विधेयक, 2008' का **सख्त विरोध करते हुए** केंद्रीय सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि वह इस विधेयक को तुरंत वापस ले और **इसकी जगह 'पड़ोसी स्कूल पर आधारित समान स्कूल प्रणाली' के खाके में तैयार किया गया एक नया विधेयक पेश करे।** हमारा मानना है कि स्कूली व्यवस्था का यही एकमात्र खाका है जो संविधान में कानून के सामने बराबरी (अनुच्छेद 14), 'राज्य' द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव बरतने के खिलाफ़ गारंटी (अनुच्छेद 15–1) और सार्वजनिक रोजगारों में समान अवसर (अनुच्छेद 16) के सिद्धांतों के अनुसार सभी बच्चों को **समतामूलक गुणवत्ता की शिक्षा** देना सुनिश्चित कर पाएगा।

हमारी दृष्टि में संसद द्वारा पारित विधेयक **बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता नहीं वरन् संविधान में निहित और सुप्रीम कोर्ट के उन्नीकृष्णन फैसले (1993) में घोषित मौलिक अधिकार को छीनता है। दरअसल, यह बिल हर मायने में संविधान–विरोधी, शिक्षा–विरोधी, बाल–विरोधी एवं निजीकरण–बाज़ारीकरण समर्थक है।**

सुप्रीम कोर्ट के उन्नीकृष्णन फैसले (1993) ने संविधान के खंड चार के अनुच्छेद 45 में 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों (छह साल से कम उम्र के बच्चों समेत) को 'मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा' देने के नीति निर्देश को खंड तीन के अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) के साथ जोड़कर उसे मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। तभी से केंद्र की सभी सरकारों – क्रमशः कांग्रेस, संयुक्त मोर्चा, राजग (एनडीए) और संप्रग (यूपीए) – ने इसके असर को शिथिल और विकृत करने के लिए प्रतिगामी कदम उठाए हैं। दिसंबर (2002) में राजग (एनडीए) सरकार ने इसी दृष्टि से छियासिवां संविधान संशोधन करवाकर खंड तीन में अनुच्छेद 21(क) जुड़वाया। इसके कारण (1) छह साल से कम उम्र के 17 करोड़ से अधिक बच्चों का संतुलित पोषण, सेहत की देखभाल और पूर्व–प्राथमिक शिक्षा (नर्सरी–के.जी.) का मौलिक अधिकार छिन गया; एवं (2) सरकार को छूट मिल गई कि वह 6–14 साल के आयु समूह के 19 करोड़ बच्चों को 'मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा' का अधिकार 'उस रीति से दे जो राज्य कानूनन निर्धारित करे' यानी मनमानी ढंग से सशर्त दे, जैसा कि वह पिछले साठ सालों से करती आई है। उक्त विधेयक इसी अनुच्छेद 21(क) के तहत बनाया गया है।

हम अत्यंत क्षोभ के साथ दर्ज करते हैं कि नवंबर 2004 से जब इस विधेयक पर 'केब' की कपिल सिब्बल समिति में काम शुरू हुआ तब से लेकर आजतक इस विवादस्पद विधेयक पर एक भी जन सुनवाई नहीं हुई है।

हम यहां इस विधेयक में कई गंभीर खामियां और विरोधाभास दर्ज कर रहे हैं। यह विधेयक,

- सरकार को छूट देता है कि वह मनमाने ढंग से मुफ़्त शिक्षा की परिभाषा को शिथिल कर ले।
- कोठारी आयोग (1966) और संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 (1992 में संशोधित) की पड़ोसी स्कूल की अवधारणा को जानबूझ कर विकृत कर रहा है जिसके चलते सरकार गरीब बच्चों को घटिया स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर कर पाएगी।
- सर्व शिक्षा अभियान की भेदभावपूर्ण बहुपरती स्कूल व्यवस्था को बरकरार रखेगा।
- सरकार को पूर्णतः अस्वीकार्य, ढुलमुल और घटिया स्तर के मानदंडों वाले स्कूलों को चलाने की अनुमति देता है।

---

[1]द्वारा आंध्र प्रदेश सेव एजुकेशन कमेटी, 306, प्लैज़ेंट अपार्टमेंट्स, बाज़ारघाट, हैदराबाद 500 004; (040) 2330–5266, 09440980396 (श्री रमेश पटनायक)।

- कम–से–कम तीन–चौथाई बच्चों, खासकर लड़कियों और विकलांगों, को घटिया गुणवत्ता की शिक्षा देना जारी रखेगा।
- विकलांगता की परिभाषा को विकृत करता है और ऐसे मानदंड निर्धारित नहीं करता है जो यह सुनिश्चित करें कि विकलांग बच्चों को सामान्य कक्षाओं व स्कूलों में पढ़ाया जा सके।
- ज्ञान अ्र्जन और मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा (अंग्रेजी समेत) सीखने में मातृभाषा की शिक्षाशास्त्रीय भूमिका को इंकार करता है और इसलिए बच्चों की अभिव्यक्ति नष्ट करता है।
- सरकारी एवं निजी सहायता–विहीन स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों के बीच कई प्रकार से भेदभाव करता है। इसके कारण तय है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता लगातार गिरेगी। परिणामस्वरूप सहायता–विहीन व सहायता–प्राप्त दोनों प्रकार के निजी स्कूल बढ़ते क्रम में अधिक महंगे और समाज के अधिकांश लोगों की पहुंच के बाहर हो जाएंगे। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ेगा और शिक्षा में सामाजिक लिंगभेद बढ़ेगा।
- निजी स्कूलों में कमज़ोर वर्गों के बच्चों को दर्ज संख्या के 25 फीसदी तक मुफ़्त शिक्षा देने के बहाने सरकारी स्कूल व्यवस्था को खत्म करने जा रहा है। वैसे भी इससे कमज़ोर वर्ग के बच्चों को कोई ठोस लाभ नहीं होने वाला है।
- निजी स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षण के उपरोक्त प्रावधान के जरिए मुक्त बाज़ारवाद के तहत बनी स्कूल वाउचर की नीति और सार्वजनिक–निजी साझेदारी का वैधानीकरण करेगा।
- वित्तीय ज्ञापन में क्रियान्वयन के खर्च का अनुमान शामिल नहीं करके सरकार को खर्च की जवाबदेही से मुकरने की पूरी छूट देता है।
- स्कूली शिक्षा के बेलगाम निजीकरण और बाज़ारीकरण को बढ़ावा देता है।

ऐसा भ्रांतिपूर्ण कानून बनाने के पीछे केंद्रीय सरकार के **तीन मकसद** पहचाने जा सकते हैं –

**पहला,** मुफ़्त और अनिवार्य समतामूलक शिक्षा की अपनी संवैधानिक जवाबदेही से पल्ला झाड़ना।
**दूसरा,** सरकारी स्कूल व्यवस्था को ध्वस्त यानी खत्म करना सिवाए सरकारी अभिजात् स्कूलों के।
**तीसरा,** स्कूली शिक्षा के निजीकरण–बाज़ारीकरण की रफ़्तार तेज करना।

हम **इस विधेयक को पूरी तौरपर खारिज करते हुए** केंद्रीय सरकार से मांग करते हैं कि वह,

1. इस विधेयक की जगह संविधान की मूल भावना और बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार **'पड़ोसी स्कूल पर आधारित समान स्कूल प्रणाली' के खाके** में तैयार किया गया एक नया विधेयक पेश करे।
2. **छियासिवें संविधान संशोधन (2002) की समीक्षा** करके **18 साल की उम्र तक** के बच्चों को यानी **12वीं कक्षा तक मुफ़्त शिक्षा का मौलिक अधिकार बिना किसी शर्त के** दिया जाए।
3. सरकार विधेयक में ही पूरी स्कूल व्यवस्था के लिए **पर्याप्त धनराशि मुहैय्या कराने की संवैधानिक गारंटी** दे। मौलिक अधिकार का यही निहितार्थ है।
4. विधेयक में शिक्षा के **निजीकरण और बाज़ारीकरण पर रोक** लगाने के प्रावधान हों, खासकर **सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पी.पी.पी.)** और इसके विभिन्न रूपों (जैसे स्कूल गोद लेना, वाउचर स्कूल आदि) पर।
5. लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए **देश के हरेक जिले में** नया विधेयक बनाने के दौरान **जन सुनवाई** का विधिवत आयोजन किया जाए।

**The member-organizations of AIF-RTE :**

1. Akhil Bharatiya Samajwadi Adhyapak Sabha
2. All India Federation of Elementary Teachers' Organizations
3. All India Secondary Teachers Federation
4. All India Students Association (AISA)
5. All India Students Federation (AISF)
6. A.P. Save Education Committee
7. Azadi Bachao Andolan
8. Bihar Arajpatrit Prarambhik Shikshak Sangh, Bihar
9. Bihar Madhyamik Shikshak Sangh, Bihar
10. Chetna Andolan, Uttarakhand
11. Committee for Equal Fundamental Right to Education, Mumbai
12. Jharkhand Vigyan Manch, Ranchi, Jharkhand
13. Nishulk Shiksha Abhiyan, Haryana
14. Rachanatmak Shikshak Mandal, Uttarakhand
15. Rajya Adhyapak Sangh, Madhya Pradesh
16. Samaan Shiksha Adhikar Manch, Rajasthan
17. Samajwadi Jan Parishad
18. Satyashodhak Shikshak Sabha, Kolhapur, Maharashtra
19. School Development & Monitoring Committee Co-ordination Forum – Karnataka
20. Shiksha Adhikar Manch, Bhopal, Madhya Pradesh
21. Shiksha Adhikar Manch, Distt. Hoshangabad, Madhya Pradesh
22. Uttar Pradesh Madhyamik Shikshak Sangh, Uttar Pradesh
23. Uttar Pradeshiya Prarambhik Shikshak Samiti, Uttar Pradesh
24. Vidyarthi Yuvjan Sabha